न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना (राज.)

तारीख हुक्म | मुकदमा सं.

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नंबर व जो ताकी

CEMS-2024/933

मै.जे.के.सीमेन्ट बनाम अमतूल वगै0

वाद संख्या 391/2024

FD हेतु सहमत
03/04/2025
(ओमप्रकाश महला)
एड.

Fatehsingh
ADV

पत्रावली वकील वादी की ओर से प्रार्थना पत्र मिसल तलबी का पेश होने पर पत्रावली पूर्व में नियत दिनांक से तलब होकर आज पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 2, 3, 7 की ओर से श्री फतेह सिंह एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया शामिल मिसल किया गया। तहसीलदार (भू0अ0) नीमकाथाना के पत्रांक भू.अ./2025/792 दिनांक 07.03.2025 द्वारा विस्तृत विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हो चुका है। विभाजन प्रस्ताव पर वकुलाय उभय पक्षो को सुना गया। वकील वादी का कथन है कि हमारा दावा मुख्यतः बटवारे का है प्राथमिक डिक्री दिनांक 29.11.2024 की पालना में तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा पक्षकारान/खातेदारान के मध्य विधिवत विभाजन कर विभाजन प्रस्ताव प्रस्तावित किया है। विभाजन प्रस्ताव से उभय पक्ष अधिवक्ता सहमत है। अतः विभाजन प्रस्ताव अनुसार दावा एफ.डी कर दिया जावें। वकुलाय उभय पक्षों को सुना गया व पत्रावली एवं विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा जो विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जाकर प्रस्तावित किया गया है वह राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम–1955 के नियम 18 से 21 के अनुसार तैयार किया जाकर प्रस्तावित किया गया है, जिससे वकुलाय उभय पक्ष सहमत है। सहमती बाबत् वकील वादी एवं वकील प्रतिवादी ने अपने–अपने हस्ताक्षर आदेशिका पर दर्ज किये। अतः दावा वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव के अन्तिम रूप से डिक्री किया जाना उचित समझते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर **दावा वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार नीमकाथाना के पत्रांक भू.अ./2025/792 दिनांक 07.03.2025 द्वारा प्रस्तावितानुसार को अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है तथा वादी व प्रतिवादीगण को विभाजन प्रस्ताव अनुसार पृथक–पृथक काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव मय नक्शा डिक्री का भाग समझा जावें। तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु पर्चा डिक्री मुर्तीब हो।** पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.05.07 12:46:06 IST
Reason: SelfAttested

राजवीर सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (राज.)

डिकरी व मुकदमे इब्तदाई
(ऑर्डर 20, रूल 6–7, जाप्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix 'D'-1)

अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमकाथाना (राज.)
व इजलासः **राजवीर सिंह यादव (आर.ए.एस.) : उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना**

मै. जे. के. सीमेन्ट **बनाम** **अमतुल (मृत)**
अलमतरा वगै.

–वादी– –प्रतिवादीगण–

दावा बाबत विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. 391 सन् 2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू राजवीर सिंह यादव (आर.ए.एस.) खण्ड अधिकारी, नीमकाथाना व हाजरी श्री औमप्रकाश महला, श्री रविन्द्र सिंह जाखड़ एडवोकेट उपस्थित। वादी मिनजानिब मुद्दई – हाजरी प्रतिवादी श्री फतेहसिंह एडवोकेट तिवादीगण मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है **दावा वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार नीमकाथाना के पत्रांक भू.अ. 2025/792 दिनांक 07.03.2025 द्वारा प्रस्तावितानुसार को अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता तथा वादी व प्रतिवादीगण को विभाजन प्रस्ताव अनुसार पृथक–पृथक काबिज खातेदार श्तकार घोषित किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव मय नक्शा डिक्री का भाग समझा जावें। नुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो।**

निज.................×.........................मुबलिग....................×.........................बाबत.................×...................

खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद बशरह.......................×.......................................फीसदी सलाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक.....................×.............................को अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 03 माह 04 सन् 2025 को जारी की गई।

मुहर

(मुहर: उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (सीकर))

दस्तखत
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (राज.)

राजवीर सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

मुद्दई	रूपया	पै.	मुद्दायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील पर खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक		
मिजान			मिजान		

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Si
Yadav
Date: 2025.05.07 12:46:06 IS
Reason: SelfAttested

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए ।